मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 (फाल्गुन 18, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 132 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने प्रदेश में खेल प्राधिकरण न बनाये जाने,

(2) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम में बड़े वाहनों की चोरी होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर के वीरपुर विद्युत सब-स्टेशन के तार टूटे होने से ग्रामों में विद्युत सप्लाई बंद होने,

(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य ने छतरपुर के नौगांव में बालिका छात्रावास का निर्माण न होने,

(5) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने शहडोल के ब्योहारी में वन मण्डल द्वारा जप्त गाड़ियों को बगैर जुर्माना वसूले छोड़े जाने तथा

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने बड़वानी के साकड़ में तालाब पार करने में ग्रामीणों को परेशानी होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखी।

(2) श्री जयन्त मलैया, जल संसाधन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009

(ग) दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 46 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009; तथा

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2734-म.प्र.विनिआ-2009 दिनांक 9 दिसम्बर, 2009,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने जबलपुर जिले में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने प्रदेश में औपचारिकेत्तर शिक्षा अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य ने सतना जिले के मैहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग रेल्वे क्रासिंग पर पुल का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री परसराम मुदगल, मदन कुशवाह एवं पारस दादा, सदस्यगण ने मुरैना जिले के वाणिज्यिक कर नाके पर अवैध वसूली किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम जिले के -

(क) वार्ड नं. 18 के ईश्वर नगर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) वार्ड नं. 18 के खेतलपुर से चम्पाबिहार तक सीमेंट रोड निर्माण कराये जाने,
(ग) मलवासा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
(घ) नगर में दो नये थाने खोले जाने,
(ङ) ग्राम करमदी एवं आदिवासी मोहल्ला में पहुंच मार्ग बनाये जाने,
(च) वार्ड नं. 48 में जल प्रदाय हेतु पाइप लाईन लगाये जाने, तथा
(छ) वार्ड नं. 30 के डोसीगांव में सीमेन्टेड मार्ग बनाये जाने,

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य ने सतना जिले के -

(क) तहसील रामनगर के ग्राम बड़वार एवं अरगट की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) तहसील अमरपाटन के ग्राम करही की हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी में उन्नयन किये जाने,
(ग) तहसील अमरपाटन के ग्राम मझगवां बड़वार, अमरपाटन एवं रामनगर में डाक्टरों की पदस्थापना किये जाने,
(घ) तहसील अमरपाटन की ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जोड़ने,,
(ङ) तहसील अमरपाटन के ग्राम-झिन्ना कदवारी एवं मारकण्डेय को बाण सागर सिंचाई योजना से जोड़े जाने,
(च) तहसील अमरपाटन के तिराहे पर वेयर बाउस तक नाली एवं सुलभ काम्पलेक्स निर्माण किये जाने,
(छ) तहसील अमरपाटन की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,
(ज) तहसील अमरपाटन की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,तथा
(झ) तहसील अमरपाटन के ग्राम खरमसेंडा से जरियादी तक मार्ग जोड़े जाने,

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत जशवन्त नगर की उर नदी के कतकारी घाट पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत जशवन्त नगर की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ग) ग्राम बैसा की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत निजामपुर के ग्राम खोडन बम्हरी ए.बी. रोड कलोधरा तक मार्ग स्वीकृत किये जाने

संबंधी याचिकाऐं प्रस्तुत कीं।

6. सामाजिक न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने दिनांक 6 जुलाई, 2009 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 669) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए 10 मार्च, 2010 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया।

8. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 1	सामान्य प्रशासन के लिए एक सौ इक्यानवे करोड़, छियानवे लाख, तिरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए बयालीस करोड़, सात लाख, तिरसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए सात सौ सत्रह करोड़, सत्तानवे लाख, सोलह हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 65	विमानन के लिए पन्द्रह करोड़, तैंतालीस लाख, सत्रह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 1	1, 3, 7, 8, 9, 10, 22
मांग संख्या - 2	2, 5
मांग संख्या - 48	3, 5, 7
मांग संख्या - 65	2, 3, 5, 6

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री केदारनाथ शुक्ला

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(3) श्री खुमान सिंह शिवाजी
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री लक्ष्मण तिवारी
(6) डॉ. गोविन्द सिंह
(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(8) श्री परसराम मुद्‌गल
(9) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(10) श्री पारस दादा
(11) श्री अभय कुमार मिश्रा
(12) श्री आरिफ अकील
(13) श्री रामप्यारे कुलस्ते

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

9. बधाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गई।

10. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(14) श्री रामनिवास रावत
(15) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(16) श्री हुकुम सिंह कराड़ा
(17) श्री आशाराम पटेल
(18) श्री विश्वामित्र पाठक

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय के लिए तीन सौ छत्तीस करोड़, सात लाख, छह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ छब्बीस करोड़, नौ लाख, छियासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए इकत्तीस करोड़, उनसठ लाख, चौदह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए छप्पन करोड़,दस लाख छियासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार एक करोड़, अड़तीस लाख, इकत्तीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 22	1, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 26
मांग संख्या - 53	1, 7
मांग संख्या - 68	2
मांग संख्या - 72	1, 2, 4
मांग संख्या - 75	1, 4, 5, 10

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(3) श्री सुरेश चौधरी
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(5) श्री परसराम मुद्‌गल
(6) श्री लाखन सिंह घनघोरिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(7) श्री लक्ष्मण तिवारी
(8) श्री शान्तिलाल धबाई
(9) श्री पांचीलाल मेड़ा
(10) श्री पारस दादा
(11) श्री रामलखन सिंह
(12) श्री रामलल्लू वैश्य
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(14) श्री बृजमोहन धूत
(15) श्रीमती ललिता यादव
(16) श्री अभय कुमार मिश्रा
(17) श्री मदन कुशवाह

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए चार हजार चार सौ पन्द्रह करोड़, तैंतीस लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 7	वाणिज्यिक कर के लिए एक हजार एक सौ छियानवे करोड़, अठारह लाख, छियालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए सत्तावन करोड़, चौरासी लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन के लिए तीन करोड़, तीन लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ सड़सठ करोड़, इकतालीस लाख, तिरासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 61	बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए छह सौ तिरासी करोड़, इकसठ लाख, पचपन हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 6	7, 8, 9,
मांग संख्या - 7	6, 8, 9, 10, 11, 14, 16
मांग संख्या - 31	7, 9, 12
मांग संख्या - 50	4
मांग संख्या - 60	4, 6
मांग संख्या - 61	2, 3, 6

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

वित्त मंत्री की अनुदान मांगों पर प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विगत वर्षों में भी वित्त मंत्री से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं की गई है। इसीलिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसके लिये समय भी आवंटित नहीं है अतः बिना चर्चा के अनुदान मांगें पारित की जाएंगी।

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि यद्यपि वित्त विभाग की मांग संख्या 6, वित्त पर चर्चा नहीं की जाती है किन्तु माननीय वित्त मंत्री के द्वारा वाणिज्यक कर योजना आर्थिक और सांख्यिकी आदि से संबंधित अनुदान संख्याओं हेतु भी धन राशि देने संबंधी प्रस्ताव किया गया है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री से संबंधित वित्त से अतिरिक्त शेष विभागों से संबंधी मांगों पर चर्चा का अवसर दिया जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्यक उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि सदन की मान्य परम्परा के अनुसार वित्त मंत्री के शेष विभागों पर सदस्यगण विनियोग विधेयक के समय चर्चा कर सकते है। अतः निवेदन है कि परम्परा का निर्वहन हो।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि पूर्व में भी, वित्त मंत्री के पास वित्त विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग भी रहते हुए वित्त मंत्री के समस्त विभागों की मांगे बिना चर्चा के स्वीकृत की गई है। पूर्व परम्पराओं को मान्य करते हुए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

12. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री की समस्त मांगों को बिना चर्चा के पारित करने विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय,वाणिज्यक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त-

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए दो सौ छियासठ करोड़, बत्तीस लाख, छियासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए सोलह करोड़, तैंतालीस लाख, अस्सी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 56	ग्रामोद्योग के लिए बहतर करोड़, चौदह लाख, इक्यावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बयालीस करोड़, पैंतालीस लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या - 78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक सौ पन्द्रह करोड़, तिरसठ लाख, एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 11	5, 9, 10, 12, 13, 16, 20
मांग संख्या - 46	2
मांग संख्या - 56	2, 5, 6, 9
मांग संख्या - 69	1, 3, 5
मांग संख्या - 78	1, 5, 6, 7

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. निशिथ पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(3) डॉ. कल्पना परूलेकर
(4) श्री रामलखन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(5) श्री पारस दादा

13. सदन के समय में वृद्दि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से वाणिज्य मंत्री की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं माननीय मंत्री के उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई।

14. वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री राधेश्याम पाटीदार
(8) श्री राधेलाल बघेल

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्यक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.46 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2010 (फाल्गुन 19, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 9 मार्च, 2010